रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 1985/पौष 14, 1906
No. 6] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 1985/PAUSA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1985

का०आ० 7(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम (एक सौ चौसठवां संशोधन) नियम, 1985 होगा।

(2) वे तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,

(क) प्रथम अनुसूची में—

(1) शीर्षक "1. कृषि मंत्रालय" तथा उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"1. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय :

(i) कृषि और सहकारिता विभाग

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग।";

(2) शीर्षक "3. वाणिज्य मंत्रालय" तथा उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"3. वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय :

(i) वाणिज्य विभाग

(ii) पूर्ति विभाग

(iii) वस्त्र विभाग।";

(3) शीर्षक "4. संचार मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"4. संचार मंत्रालय :

(i) डाक विभाग

(ii) दूर संचार विभाग।";

(4) शीर्षक "5. रक्षा मंत्रालय : (मंत्रालय के अन्तर्गत रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा पूर्ति विभाग तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सहित)" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"5. रक्षा मंत्रालय :

(i) रक्षा विभाग

(ii) रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग।";

(5) शीर्षक "6. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् —

"6. शिक्षा मंत्रालय।",

(6) शीर्षक "7 ऊर्जा मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"7. पर्यावरण और वन मंत्रालय :

(i) पर्यावरण विभाग

(ii) वन और वन्य जीव विभाग।";

(7) शीर्ष "12. गृह मंत्रालय (मंत्रालय के अन्तर्गत राजभाषा विभाग और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सहित)" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"12. गृह मंत्रालय :

(i) गृह विभाग

(ii) राजभाषा विभाग।";

(8) शीर्षक "15. सिंचाई मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"15. सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय :

(i) सिंचाई विभाग

(ii) विद्युत् विभाग।";

(9) शीर्षक "16. श्रम और पुनर्वास मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"16. श्रम मंत्रालय।";

(10) शीर्षक "17 विधि और न्याय मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"17क. संसदीय कार्य मंत्रालय,

17ख. पैट्रोलियम मंत्रालय।";

(11) शीर्षक "18. योजना मंत्रालय (सांख्यिकी विभाग सहित)" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"18 योजना मंत्रालय :

(i) योजना विभाग

(ii) सांख्यिकी विभाग।",

(12) शीर्षक "20. ग्रामीण विकास मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय :

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(iii) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग।";

(13) शीर्षक "22. समाज कल्याण मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"22. समाज और महिला कल्याण मंत्रालय।";

(14) शीर्षक "23 इस्पात और खान मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"22. इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय :

(i) इस्पात विभाग

(ii) खान विभाग

(iii) कोयला विभाग।";

(15) शीर्षक "26. परमाणु ऊर्जा विभाग" के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"26क. संस्कृति विभाग।";

(16) शीर्षक "28. पर्यावरण विभाग" का लोप किया जाये;

(17) शीर्षक "30. संसदीय कार्य विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"30. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग।";

(18) शीर्षक "31. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" का लोप किया जाये;

(19) शीर्षक "33. खेल विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"33. युवक कार्यक्रम और खेल विभाग";

(20) शीर्षक "34. पूर्ति विभाग" का लोप किया जाये;

(ख) द्वितीय अनुसूची में—

(1) शीर्षक "कृषि मंत्रालय" के अन्तर्गत प्रविष्टियों में,—

(क) विद्यमान शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय";

(ख) "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत,—

(i) प्रविष्टि 8 का लोप किया जाए;

(ii) प्रविष्टि 19 में, "भारतीय वन सेवा" शब्दों का लोप किया जाए;

(iii) प्रविष्टि 27 का लोप किया जाये,

(ग) उप-शीर्षक "ख. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायें, अर्थात् :—

"ग. ग्रामीण विकास विभाग

1. पंचायती राज से संबंधित सभी मामले।

2. भूमि सुधार, भूमि-धारण अधिकार, भूमि-रेकार्ड, जोतों की चकबन्दी तथा अन्य संबंधित मामले।

3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन संबंधी अन्य मामले।

4. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर-विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया, और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।

5. भूमि अर्थात् भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार, जिनके अन्तर्गत निर्माणों और नगर योजना सुधारों

के लिये कृषि भूमि से भिन्न भूमि का अर्जन नहो है।

6. भू-राजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है।

7. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क।

8. प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जल आपूर्ति (त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को छोड़कर), भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिये आवास और पोषाहार कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों की नोडीय जिम्मेदारी।

9. ग्रामीण बेरोज़गारी का मुकाबला करने के लिये कार्यक्रम जिनमें "काम के लिये अनाज" कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

10. सर्वांगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त कृषक और कृषि मजदूर, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।

11. मरुस्थल विकास कार्यक्रम।

12. जन सहयोग जिसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिये स्वयंसेवी अभिकरणों से सम्बद्ध सभी मामले सम्मिलित हैं।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था जिसमें ग्रामीण गोदाम आते हैं।

14. नगर और ग्राम योजना, जहां तक इसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों से है।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937।

16. इस सूची की मदों से सम्बन्धनीय सहकारी समितियां।

17. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन।

18. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामले।

19. कोआपरेशन विद दि सेंटर फार इंटेग्रेटिड रूरल डेवेलपमेंट फार एशिया एंड पैसिफिक (सी०आई०आर० डी० ए० पी०) तथा दि एफ्रो-एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइज़ेशन (ए०ए०आर०आर०ओ०) से संबंधित सभी मामले।";

(2) वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक की प्रविष्टियों के अन्तर्गत :—

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख) उप-शीर्षक "क. वाणिज्य विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायें, अर्थात् :—

"ख" पूर्ति विभाग :

1. जिन मदों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिये क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य।

2. अधिशेष स्टोर का व्ययन।

3. गत युद्ध-संगठनों, जिनके अन्तर्गत सिविल अनुरक्षण यूनिटों सहित वायुयान महानिदेशालय और पोत मरम्मत महानिदेशालय भी हैं, से संबंधित पूर्ति और व्ययन का अवशिष्ट कार्य।

4. निम्नलिखित का प्रशासन :—

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय।

(ख) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय।

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता।

(ग) उप-शीर्षक "ख. वस्त्र विभाग" के बजाय "ग वस्त्र विभाग" उप-शीर्षक रखा जाये।"।

(3) शीर्षक "संचार मंत्रालय" के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखो जाएं, अर्थात् :—

"क. डाक विभाग

1. अन्य देशों के साथ ऐसी संधियों और करारों का कार्यान्वयन जिनका संबंध डाक विभाग में व्यवहृत मामलों से है।

2. डाक विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

3. डाक, डाकघर बचत बैंक (प्रशासन), डाकघर प्रमाण-पत्र (प्रशासन) और डाकघर जीवन बीमा विधि (प्रशासन) सहित।

4. इस सूची के विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

5. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।

6. इस सूची के विषयों में से किसी की भी बाबत फीसें किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं।

ख. दूर संचार विभाग

1. अन्य देशों के साथ ऐसी संधियों और करारों का कार्यान्वयन जिनका संबंध दूर संचार में व्यवहृत मामलों से है।

2. दूर संचार के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संक्रमों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

3. तार, टेलीफोन, बेतार और संचार के इसी तरह के अन्य रूपों सहित।

4. भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर और हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास।

5. इस सूची के विषय में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

6. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।

7. इस सूची के विषयों में से किसी की भी बाबत फीसें, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं है।";

(4) शीर्षक "रक्षा मंत्रालय" के अन्तर्गत,—

(क) प्रविष्टि 1 से पूर्व, निम्नलिखित उप-शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाए अर्थात्:—

"(क) रक्षा विभाग";

(ख) उप-शीर्षक "रक्षा उत्पादन विभाग" के बजाय निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाए, अर्थात्:—

"ख. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग";

(ग) प्रविष्टि 22 का लोप किया जाए;

(घ) उप-शीर्षक "रक्षा पूर्ति विभाग" का लोप किया जाए।

(ङ) उप-शीर्षक "रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग" के बजाय उप-शीर्षक "ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग" रखा जाए;

(च) प्रविष्टि 31 के बजाए, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्:—

31. विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।";

(5) शीर्षक "शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय" के अन्तर्गत प्रविष्टियों में,

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् "शिक्षा मंत्रालय"

(ख) उप-शीर्षक "क. शिक्षा विभाग" का लोप किया जाए;

(ग) उप-शीर्षक "ख. संस्कृति विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(6) शीर्षक "ऊर्जा विभाग" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षक और प्रविष्टियों के बजाय निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात्:—

"पर्यावरण और वन मंत्रालय;

क. पर्यावरण विभाग—

1. पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान, जिसमें तटीय समुद्र मेग्रोवों और प्रवाल भित्तियों का पर्यावरण शामिल है, लेकिन खुले सागर में समुद्री पर्यावरण शामिल नहीं है।

2. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण।

3. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण।

4. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय।

5. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974।

6. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977।

7. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981।

8. जीवमंडल रिज़र्व कार्यक्रम।

ख. वन और वन्य जीवन विभाग:—

1. राष्ट्रीय वन नीति और देश में सामाजिक वानिकी सहित वानिकी विकास।

2. वन नीति तथा वनों और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले जहां तक कि उनका संबंध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है।

3. भारतीय वन सेवा।

4. वन्य जन्तुओं का परिरक्षण तथा वन्य पक्षियों और जीव जन्तुओं का संरक्षण।

5. वानिकी में उच्च शिक्षा और उसके समन्वय सहित मौलिक अनुसंधान।

6. पद्मजा नायडु हिमालयन प्राणि-विज्ञान पार्क।";

(7) शीर्षक "वित्त मंत्रालय", उप-शीर्षक "ग. राजस्व विभाग" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 14 का लोप किया जाए;

(8) शीर्षक "गृह मंत्रालय" के अन्तर्गत:—

(क) "भाग 1—संघ विषय" से पहले, उप-शीर्षक "क. गृह विभाग" अन्तःस्थापित किया जाए;

(ख) "भाग 4—प्रकीर्ण कार्य" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 104 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"105. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। शिविरों की स्थापना, नगर खैरात का भुगतान, अन्य सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।

पुनर्वास में निम्नलिखित सम्मिलन है: आवास, प्रशिक्षण और रोजगार, भूमि, कारबार उद्योगों और अन्य कृषीतर व्यवसायों के संबंध में पुनःस्थापन।

106. प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों को राहत और उनका पुनर्वास।

107. तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास।

108. जम्मू और कश्मीर में छम्ब क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास। छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण।

109. दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण।

110. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय शिविरों, कार्य-स्थल शिविरों के लिए और कर्मी शिविरों का प्रशासन।

111. पुनर्वास उद्योग निगम।

112. पश्चिमी बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्ट समस्याएं।

113. बंगला देश से आये शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं।

114. जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों की अवशिष्ट समस्याएं।

115. समय-समय पर प्रधान-मंत्री द्वारा निर्दिष्ट किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास।

116. भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जम्मू और काश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

117. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्ट मामले।

118. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन :—

(क) निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31)।

(ख) निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64)।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (ऋण-समायोजन) अधिनियम, 1951 (1951 का 70)।

(घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44)।

(ङ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12)।

(च) निष्क्रांत निक्षेपों का हस्तान्तरण अधिनियम, 1954 (1954 का 15)।

(छ) गोवा, दमण और दीव में निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1964 से संबंधित मामले।

119. भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्ति के संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत।

120. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से प्राप्त चल-सम्पत्ति को भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों को वापस देना।

121. (क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों, जो अविभाजित प्रान्तों और स्थानीय निकायों में सरकारी कर्मचारी थे, के पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और प्रतिभूति निक्षेपों संबंधी दावों का सत्यापन और भुगतान।

(ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन, और अनुग्रहपूर्वक सहायता के भुगतान, ठेकेदारों को उनके सत्यापित दावों के संबंध में सहायता के अनुदान के लिए तदर्थ योजनाएं, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से 1-1-1961 और 25-3-1971 के बीच आये पेंशन भोगियों को सहायता का अनुदान।

122. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

द्रष्टव्य :—जहां विनिर्दिष्ट है, उसे छोड़कर, सहायता और पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित और प्रशासित होते हैं।

(ग) उप-शीर्षक "राजभाषा विभाग" के बजाय, उप-शीर्षक "ख. राजभाषा विभाग" रखा जाए;

(घ) उप-शीर्षक "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(9) शीर्षक "सिंचाई मंत्रालय" के अंतर्गत,—

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्,—

"सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय"

क. सिंचाई विभाग

(ख) प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

"ख. विद्युत् विभाग

1. ऊर्जा के क्षेत्र में साधारण नीति।

2. अनुसंधान, विकास, तकनीकी सहायता और जल विद्युत् और ऊष्मीय शक्ति से संबंधित सभी मामले।

3. भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का प्रशासन।

4. विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का प्रशासन।

5. केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड।

6. केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण।

7. संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत् स्कीमें।

8. दामोदर घाटी निगम।

9. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड।

10. भाखड़ा प्रबंध बोर्ड और व्यास परियोजना (सिंचाई से संबंधित मामलों को छोड़कर)।

11. (i) राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम।
(ii) राष्ट्रीय जल-विद्युत् शक्ति निगम।
(iii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।
(iv) उत्तर-पूर्वी विद्युत् शक्ति निगम।

(10) शीर्षक "श्रम और पुनर्वास मंत्रालय" के अन्तर्गत प्रविष्टियों में—

(क) विद्यमान शीर्षक के बजाय निम्नलिखित शीर्षक रखा जाए, अर्थात्—

"श्रम मंत्रालय";

(ख) शीर्षक "क. श्रम विभाग" का लोप किया जाए;

(ग) शीर्षक "ख. पुनर्वास विभाग" तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

(11) शीर्षक "विधि और न्याय" मंत्रालय और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"संसदीय कार्य मंत्रालय"

1. संसद के दोनों सदनों में आह्वान और सत्रावसान की तारीखें; लोक सभा का विघटन; संसद् के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।

2. दोनों सदनों में विधायी तथा अन्य राजकीय कार्य की योजना और समन्वय।

3. जिन प्रस्तावों की सूचना सदस्यों ने दी है उनकी चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का आवंटन।

4. समूह नेताओं और उपमुख्य सचेतकों के साथ सम्पर्क।

5. विधेयकों संबंधी, प्रवर और संयुक्त समितियों के लिए सदस्य सूचियां।

6. सरकार द्वारा स्थापित समितियों तथा अन्य निकायों में संसद सदस्यों की नियुक्ति।

7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण।

8. मंत्रियों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।

9. प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का दृष्टिकोण।

10. मंत्रिमंडल की संसदीय समिति की सचिवीय सहायता।

11. संसद सदस्यों के संवलनों और भत्तों से सम्बंधित अधिनियम।

12. संसद अधिकारियों के संवलनों और भत्तों से संबंधित अधिनियम।

13. प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों पर मंत्रालय की सलाह।

14. संसदीय समितियों द्वारा की गई साधारण रूप में लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।

15. संसद सदस्यों द्वारा रोचक स्थानों का परिदर्शन, जिसे राजकीय रूप से समर्थित किया गया हो।

16. संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामले।

पेट्रोलियम मंत्रालय

(1) प्राकृतिक गैस सहित, पेट्रोलियम के साधनों के लिए खोज और उनका दोहन।

(2) प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों सहित पेट्रोलियम उत्पादों सहित, पेट्रोलियम का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण।

(3) तेल परिष्करणियों, जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं।

(4) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये योज्य।

(5) स्नेह मिश्रण और ग्रीसें।

(6) पेट्रो-रसायन।

(7) सेलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलियेस्टर एक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग।

(8) संश्लिष्ट रबड़।

(9) प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल है।

(10) मंत्रालय द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता।

(11) इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

(12) तेल क्षेत्र सेवाओं की योजना विकास और विनियमन।

(13) उन परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है, इस सूची में सम्मिलित किये गये विषयों के अन्तर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें, इंजीनियर्स इंडिया लि. और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी जिसमें उसके अनुषंगी भी शामिल हैं।

(14) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53)।

(15) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43)।

(16) पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)।

(17) एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का 4)।

(18) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)।

(19) बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2)।

(20) कालटैक्स (कालटैक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लि. के शेयरों का और कालटैक्स (इंडिया) लि. के भारत में उपक्रमों का अर्जन (अधिनियम 1977 (1977 का 17)।

(12) शीर्षक "योजना मंत्रालय" के अन्तर्गत.—

(क) प्रविष्टि "राष्ट्रीय योजना के विषय की बाबत संसद् के प्रति जिम्मेदारी" से पहले उप-शीर्षक "क. योजना विभाग" अन्तः स्थापित किया जाए;

(ख) उप-शीर्षक "सांख्यिकी विभाग" के बजाय निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाए, अर्थात्.—

"ख. सांख्यिकी विभाग";

(13) शीर्षक "ग्रामीण विकास मंत्रालय" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात्.—

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय"

क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में नीति विषयक वक्तव्य और मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना।

(2) मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (एस. ए. सी. सी.)।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास।

(4) भविष्य-विज्ञान।

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों का समन्वय जिनमें अनेक संस्थाओं और विभागों की रुचि हो और जिनमें उनकी क्षमता हो।

(6) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षणों, अनुसंधान, डिजाइन और विकास, जहां कहीं आवश्यक हो, के कार्यों को हाथ में लेना या वित्तीय तौर पर उन्हें समर्थन देना।

(7) वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों और निकायों को सहायता और सहायता अनुदान देना।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यकलाप, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं.—

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहकारिता करारों के संबंध में बातचीत और उनका कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रियाकलापों के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं की जिम्मेदारी, और

(ख) विदेशों में वैज्ञानिक सहचारियों (अताशियों) की नियुक्ति।

टिप्पण : इन कृत्यों का पालन विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

(9) वैज्ञानिक सर्वेक्षण :—

(1) भारतीय सर्वेक्षण;

(2) नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन;

(10) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग;

(11) (i) खगोल भौतिकी संस्थान (इन्स्टीट्यूट आफ ऐस्ट्रोफिजिक्स)

(ii) भूचुंबकत्व संस्थान।

(iii) इन्स्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मीटिरालॉजी।

(12) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय परिषद।

(13) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड।

(14) नेशनल बायोटेक्निकल बोर्ड।

(15) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामले, उदाहरणार्थ वित्तीय, कार्मिक, क्रय और आयात नीतियां तथा व्यवहार।

(16) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रबन्ध सूचना प्रणाली और तत्संबंधी समन्वय।

(17) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों के विकास हेतु अन्तःअभिकरण/अन्तर विभागीय समन्वय संबंधी मामले।

(18) देशी प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले खास तौर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी से भिन्न वे मामले जिनमें ऐसी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण निहित हो।

(19) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के निमित्त उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय।

ख. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से संबंधित सभी मामले।

(2) राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम से संबंधित सभी मामले।

(3) सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि० से संबंधित सभी मामले।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (एस. आई. एस. एस. ए. टी.)।

(5) अनुसंधान और विकास इकाइयों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करना।

(6) यू. एन. सी. टी. ए. डी. एंड डब्ल्यू. आई. पी. ओ. से संबंधित मामले।

(7) विदेशी सहयोग के बारे में नैशनल रजिस्टर।

(8) भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों की अस्थायी तैनाती के लिए एक पूल के सृजन से संबंधित मामले।

(9) नैशनल रजिस्टर आफ साइंटिफिक मैनपावर।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

(1) बायोगैस का अनुसंधान और विकास तथा बायो गैस संयंत्रों से संबद्ध कार्यक्रम।

(2) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (सी.ए.एस.ई.)

(3) सौर प्रकाश वैद्युत यन्त्र, उनके विकास, उत्पादन और अनुप्रयोगों सहित ।

(14) शीर्षक "समाज कल्याण मंत्रालय" के स्थान पर शीर्षक "समाज और महिला कल्याण मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाए;

(15) शीर्षक "इस्पात और खान मंत्रालय" के अन्तर्गत,—

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाए, अर्थात् :—

"इस्पात खान और कोयला मंत्रालय" ;

(ख) उप-शीर्षक "ख खान विभाग" के अंतर्गत प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित क जाए अर्थात् :—

"9. मैटलर्जिकल ग्रेड सिलिकोन ।" ;

(ग) उप-शीर्षक "ख. खान विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टिया अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"घ. कोयला विभाग"

1 भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के निक्षेपों का अन्वेषण और विकास ।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति वितरण और कीमतों से संबंधित सब मामले ।

3. इस्पात विभाग जिनके लिये जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला खानियों का विकास और संचालन।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 का प्रशासन ।

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

7. कोयला खान कल्याण संगठन ।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

9क. खानों में उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अंतर्गत नियम ।

10. कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 का प्रशासन ।

11. कोयले और लिग्नाइट में संबंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम ।

12. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है; इस प्रकार के प्रशासन से प्रसंगवश कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल है ।

(16) शीर्षक "पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" के अन्तर्गत,—

(क) उप-शीर्षक "क. पर्यटन विभाग" के अन्तर्गत प्रविष्टि 2 का लोप किया जाए ।

(ख) उप-शीर्षक "ख. नागर विमानन विभाग" के अन्तर्गत प्रविष्टि 1 का लोप किया जाए ।

(17) शीर्षक "परमाणु ऊर्जा विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"संस्कृति विभाग"

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय; भारतीय संग्रहालय; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक और ऐसी ही अन्य संस्थाएं जिनका वित्त-पोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता हो और जो संसद् द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था विधितः घोषित की गई हो ।

2. पुरातत्व, पुरातत्वीय संग्रहालय ।

3. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 ।

4. विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज के लिए अनुदान ।

5 सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ।

6. स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास ।

6क. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास ।

7. गांधी स्मृति समिति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।

8 पुस्तक परिदान (लोक पुस्तकालय) अधिनियम तथा प्रेस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (जहां तक जहां तक केन्द्रीय सरकार की पुस्तकें और सूची-पत्र देने का संबंध है) ।

9. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।

10 साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां ।

11. केन्द्रीय सचिवालय, पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक, लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबख्श ओरियेंटल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; संग्रहालयों का साधारण विकास ।

12. राष्ट्रीय नव कला भवन, नई दिल्ली ।

13. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

14. निखात निधि : पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 तथा पुरावशेषों का निर्यात ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालायें और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।

16. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों की या उनके उत्तर जीवियों की वित्तीय सहायता ।

17. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास

18. छात्रवृत्तियां जिनके अन्तर्गत वे छात्रवृत्तियां भी हैं जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की गई हैं ।
19. आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें ।
20. दुलर्भ हस्तलेखों का प्रकाशन ।
21. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।
22. भारतीय-विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।
23. विदेशों से सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां ।
24. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।
25. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।
26. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।
27. विदेश जाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिनके अन्तर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता आते हैं ।
28. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।
29. विदेशों में पुस्तकालयों का स्थापन ।
30. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।
31. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमय के लिए करार ।
32. विदेशों में भारतीय कला वस्तुएं भेंट करना ।
33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
34. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तक-नर्तकियों, संगीतज्ञों आदि का विनिमय ।
35. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।
36. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियों और वार्षिकोत्सवों का मनाना ।
37. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित प्रकाशन, जानकारी और आंकड़े ।
38. इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरियेंटलिस्ट्स ।
39. भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण ।
40. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।
40क. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।
41. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता ।
42. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सब संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

(18) शीर्षक "इलेक्ट्रानिकी विभाग", प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"3क. धातुकर्मीय ग्रेड सिलिकोन के अलावा सिलिकोन से संबंधित सभी प्रौद्योगिकी;

3ख. नशनल सिलिकोन फेसिल्टि ।" ;

(19) शीर्षक "पर्यावरण विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएं ;

(20) शीर्षक—"संसदीय कार्य विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" ।

1. सेवाओं में भर्ती, प्रोन्नति और मनोबल ।

I. नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण ।

2. रेल सेवाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेवाओं के सिवाय, केन्द्रीय सेवाओं से सम्बन्धित भर्ती, प्रोन्नति और ज्येष्ठता संबंधी साधारण प्रश्न ।

3. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आयु-सीमाओं, स्वास्थ्य मानकों, शैक्षिक अर्हताओं तथा तकनीकी डिग्रियों/डिप्लोमों की मान्यता की बाबत साधारण नीति ।

4. रेल सेवाओं से भिन्न सेवाओं के संबंध में पदों के वर्गीकरण और राजपत्रित हैसियत प्रदान करने के संबंध में साधारण नीति विषयक मामले ।

5. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग के सिवाय, भारत सरकार के सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों के लिए अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती ।

6. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, और अंतरिक्ष विभाग के सिवाय, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर अभारतीयों की भर्ती ।

7. विभिन्न देशों से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नियोजन संबंधी सहायता देने की बाबत साधारण नीति ।

8. सिविल पदों और सेवाओं में नियुक्ति की बाबत युद्ध सेवा-अभ्यर्थियों को रियायतें ।

9. जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में हैं उन क्षेत्रों से आने वाले विस्थापित सरकारी सेवकों और छटनी किये गए अस्थायी कर्मचारियों के पुनः स्थापन के संबंध में साधारण नीति ।

10. लोक सेवाओं में प्रथम नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के विषय में राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें ।

11. अधिवर्षिता-प्राप्त अधिकारियों के सेवा-विस्तारण और पुनर्नियोजन के संबंध में साधारण नीति ।

12. भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों की बाबत, संघ के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रमाण-पत्र देना ।

13. (क) विदेश मंत्रालयों के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन और द्विपक्षीय आधार पर विदेशस्थ भारतीय विशेषज्ञों की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सहबद्ध अभिकरणों के साथ तथा आई. एल. ओ., एफ. ए. ओ. इत्यादि जैसे उसके अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नियोजन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।

14. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त-उपयुक्तता संबंधी सत्यापन विषयक साधारण नीति ।

15. उच्चतर पदों के लिए रोजगार कार्यालयों में ऐसे कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो सेवा में हों आपत्ति न होने संबंधी प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में नीति विषयक मामले ।

16. मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द संबंधी मामले ।

17. निम्नलिखित के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिशेष हो गये कर्मचारियों का पुनःअधिनियोजन :—

(i) प्रशासनिक सुधार ;

(ii) कर्मचारिवृन्द निरीक्षण एकक द्वारा किए गए अध्ययन;

(iii) दीर्घकालिक किन्तु अस्थायी संगठनों का परिसमापन ।

18. मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न काडरों के समुचित प्रबन्ध के संबंध में मंत्रालयों को सलाह ।

II. प्रशिक्षण

19. (क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना और उनका समन्वय ।

(ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(घ) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का और प्रशिक्षण तकनीकों, सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन ।

(ङ) राज्यों के भीतर की तथा विदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ सम्पर्क ।

(च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधकगण के स्तरों के लिए पुनश्चर्या तथा विशेष पाठ्यक्रम ।

III. सतर्कता और अनुशासन

20. (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जिसके अंतर्गत विधिक प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग आते हैं) ; खाद्य संबंधी अपराधों की शाखा और आर्थिक अपराध शाखा ।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त उस दशा में मंजूरी देना जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाए ।

टिप्पणी:—किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा न किया गया हो, किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त मंजूरी प्रशासन विभाग द्वारा उस दशा में दी जाएगी जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाए ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।

(घ) लोक सेवकों के मध्य सतर्कता और अनुशासन संबंधी सभी नीति विषय मामले ।

(ङ) संसद सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध ।

(च) विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 की धारा 5 की उप धारा (1) के अंतर्गत, अपराधों के संबंध में घोषणायें करना और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की नियुक्ति तथा अन्य संबद्ध मामले ।

नोट : विशेष न्यायालयों में मामलों के अभियोजन की जिम्मेदारी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों की, जैसी भी स्थिति हो, चलती रहेगी ।

IV. सेवा की शर्तें

21. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सिवाय, अखिल भारतीय और संघ लोक सेवाओं संबंधी साधारण प्रश्न (उनसे भिन्न जिनका वित्त से संबंध है), जिनमें आचरण-नियम भी आते हैं ।

22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अंतर्गत विज्ञान और तकनीकी कार्मिकों को छोड़कर) की वे सेवा-शर्तें जो उनसे भिन्न हैं जिनका वित्त से संबंध है और जिनका विस्तार वहां तक है जहां तक उनसे सेवा के साधारण हितों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं ।

23. (क) मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित सभी सेवा नियमों का (निम्नलिखित को छोड़कर) प्रशासनः—

(i) कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षणों से संबंधित प्रस्ताव;

(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के लिए प्रस्ताव;

(iii) वेतन आयोग की नियुक्ति, सिफारिशों का प्रसंस्करण और उनका कार्यान्वयन;

(iv) महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यात्रा भत्ते ;

(v) पेंशन ढांचा और पेंशनभोगियों को सहायता;

(vi) सेवा शर्तों अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा ;

(vii) प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामले ।

(ख) सेवा-शर्तों और महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के लिये प्रस्तावों का उपक्रमण ।

(ग) खंड (क) की मद (vii) में उल्लिखित प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों सहित सेवा नियमों में संशोधन से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना ।

(घ) दीर्घावधि वित्तीय निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा नियमों का वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिथिलन और उदारीकरण ।

24. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान ।

25. रेल कर्मचारियों से भिन्न सिविल कर्मचारियों के लिये छुट्टी यात्रा सुविधायें ।

26. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 ।

27. रेल मंत्रालय के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के सिवाय, ऐसे सेवकों की छंटनी और प्रतिवर्तन संबंधी साधारण नीति ।

28. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को नैरापद करना) नियमों का प्रशासन ।

29. केन्द्रीय सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों में वर्ग iv तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिये वर्दियां ।

30. भारत सरकार के कार्यालयों के लिये काम के घंटे और अवकाश दिन ।

31. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन जिनमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्टतः प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों ।

32. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या या श्रेणी से अथवा उसकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों से हो जिनमें वित्तीय प्रश्न निहित हों ।

33. सरकारी सेवकों द्वारा किये गये विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति ।

34. पदेन सचिवालय हैसियत प्रदान करने के लिये प्रस्थापनायें ।

35. सिविल पदों में व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां ।

36. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।

V. ज्येष्ठ और मध्यवर्गीय प्रबंधकगण

37. ज्येष्ठ प्रबंधकगण (अर्थात संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्षों) के सभी पहलू, जिनके अन्तर्गत उनके लिये कार्मिकों की अभिवृद्धि भी है ।

38. (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी ।

(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ।

(ग) केन्द्रीय स्थापना बोर्ड ।

(घ) मध्यवर्गीय प्रबंधकगण (निदेशकों, उप सचिवों और अवर सचिवों तथा उनके समकक्षों) के भविष्य का विकास ।

VI. सरकार कर्मचारी संबंध जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द की शिकायतें और कल्याण भी हैं—

39. (क) भारत सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के सेवा संगम ।

(ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र; कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के लिये विभागीय परिषद् ।

(ग) कर्मचारिवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिये तंत्र ।

(घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण जिसके अंतर्गत खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैन्टीनें, सहकारी स्टोर आदि हैं ।

(ङ) सरकारी कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले जो इस विभाग के संबंध में किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत उपबंधित नहीं है ।

VII. संघ लोक सेवा आयोग

40. संघ लोक सेवा आयोग ।

VIII. भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्तर मंत्रालय काडर, जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की भविष्य विषयक योजना आती है, के प्रबन्ध के केन्द्रित पहलू ।

41. (क) नयी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन नियम और विनियम ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके अन्तर्गत भारतीय सिविल सेवा है, से संबद्ध सभी मामले ।

(घ) अखिल भारतीय सिविल सेवा सूची और सेवाओं का इतिहास ।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा ।

IX. भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना

42. (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकारी सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न ।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबद्ध सभी मामले ।

X. कार्मिक प्रबन्ध अभिकरण

43. विभिन्न मंत्रालयों के भीतर प्रबंध अभिकरणों के काम का समन्वय ।

XI. कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, आदि

44. कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, कार्मिक संबंधी मामलों में राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं आदि के साथ संपर्क ।

12. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आबंटन और सेवाओं का एकीकरण

45. (क) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा कार्मिकों का आबंटन ।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा का संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न में, विभाजन और एकीकरण ।

(ग) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कार्मिकों की सेवा की शर्तों का संरक्षण ।

(घ) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित राज्य सेवाओं से संबद्ध अन्य मामले ।

13. प्रशासनिक सुधार

46. प्रशासनिक सुधार ।

47. संगठन और पद्धति ।

(21) शीर्षक "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(22) शीर्षक "खेल विभाग" के अन्तर्गत,—

(क) वर्तमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"युवक कार्यक्रम और खेल विभाग"

(ख) प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"4. युवक कार्यक्रम

5. युवक होस्टल";

(23) शीर्षक "पूर्ति विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रतिष्टियों का लोप किया जाए ।

जैल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/85-मंत्रि.]

आर. वेंकटनारायणन, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1985

S.O. 7(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixty-fourth Amendment) Rules, 1985.

2) They shall be deemed to have come into force at once on the 31st day of December, 1984.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,

(a) in the First Schedule—

(1) for the heading "1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"1. Ministry of Agriculture and Rural Development (Krishi aur Gramin Vikas Mantralaya) :

(i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag).

(ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Siksha Vibhag).

(iii) Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag).";

(2) for the heading "3. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

"3. Ministry of Commerce and Supply (Vanijya aur Poorti Mantralaya) :

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).

(ii) Department of Supply (Poorti Vibhag).

(iii) Department of Textiles (Vastra Vibhag).";

(3) for the heading "4. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"4. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya) :

(i) Department of Posts (Dak Vibhag).

(ii) Department of Telecommnications (Door Sanchar Vibhag).";

(4) for the heading "5. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya). with a Department of Defence Producion (Raksha Utpadan Vibhag), a Department of Defence Supplies (Raksha Poorti Vibhag) and a Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan tatha Vikas Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)]" the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"5. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) :

(i) Department of Defence (Raksha Vibhag).

(ii) Department of Defence Production and Supplies (Raksha Utpadan aur Poorti Vibhag).

(iii) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan tatha Vikas Vibhag).";

(5) for the heading "6. Ministry of Education and Culture (Shiksha aur Sanskriti Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted namely :—

"6. Ministry of Education (Shiksha Mantralaya).";

(6) for the heading "7. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the

following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"7. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya) :

(i) Department of Environment (Paryavaran Vibhag).

(ii) Department of Forests and Wild Life (Vanya aur Van Jeev Vibhag).";

(7) for the heading "12. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) : [with a Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag) and a Department of Personnel and Administrative Reforms Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)]", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"12. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) :

(i) Department of Home Affairs (Grih Vibhag).

(ii) Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag).";

(8) for the heading "15. Ministry of Irrigation (Sinchai Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"15. Ministry of Irrigation and Power (Sinchai aur Vidyut Mantralaya) :

(i) Department of Irrigation (Sinchai Vibhag).

(ii) Department of Power (Vidyut Vibhag).";

(9) for the heading "16. Ministry of Labour and Rehabilitation (Shram aur Punarwas Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted, namely :—

"16. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).";

(10) after the heading "17. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following headings shall be inserted, namely :—

"17A. Ministry of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Mantralaya);

17B. Ministry of Petroleum (Petroleum Mantralaya).";

(11) for the heading "18. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya) with a Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

"18. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya):

(i) Department of Planning (Yojana Vibhag).

(ii) Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag)".;

(12) for the heading "20. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"20. Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Prodyogiki Mantralaya):

(i) Department of Science and Technology (Vigyan aur Prodyogiki Vibhag).

(ii) Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

(iii) Department of Non-conventional Energy Sources (Aparamparik Oorja Srota Vibhag).";

(13) for the heading "22. Ministry of Social Welfare (Samaj Kalyan Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"22. Ministry of Social and Women's Welfare (Samaj aur Mahilayen Kalyan Mantralaya).";

(14) for the heading "23. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"23. Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan aur Koyala Mantralaya) :

(i) Department of Steel (Ispat Vibhag).

(ii) Department of Mines (Khan Vibhag).

(iii) Department of Coal (Koyala Vibhag).";

(15) after the heading "26. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag)", the following heading shall be inserted, namely :—

"26A. Department of Culture (Sanskriti Vibhag).";

(16) the heading "28. Department of Environment (Paryavaran Vibhag)" shall be omitted;

(17) for the heading "30. Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag)", the following heading shall be substituted, namely :—

"30. Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag).";

(18) the heading "31. Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag)" shall be omitted;

(19) for the heading "33. Department of Sports (Khel Vibhag)", the following heading shall be substituted, namely :—

"33. Department of Youth Affairs and Sports (Yuvaka Karyakaram aur Khel Vibhag).";

(20) the heading "34. Department of Supply (Poorti Vibhag)" shall be omitted;

(b) in the Second Schedule—

(1) in the entries under the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)",—

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Ministry of Agriculture and Rural Development (Krishi aur Gramin Vikas Mantralaya)";

(b) under the sub-heading "A. Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag)";—

(i) entry 8 shall be omitted;

(ii) in entry 10, the words "Indian Forest Service" shall be omitted;

(iii) entry 27 shall be omitted;

(c) after the sub-heading "B. Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG).

1. All matters relating to Panchayati Raj.

2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holdings and other related matters.

3. Administration of the Land Acquisition Act, 1894, and other matters relating to acquisition of land for purpose of the Union.

4. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

5. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land and improvement and agricultural loans, excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

6. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey for revenue purposes, alienation of revenues.

7. Duties in respect of succession to agricultural land.

8. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in the rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification, rural water supply (excluding centrally sponsored scheme of accelerated rural water supply), housing for landless rural labour and the nutrition programme.

9. Programme for tackling rural unemployment including 'food for work' programme, training programmes, and rural works programmes.

10. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programes, etc.

11. Desert Development Programmes.

12. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural reconstruction.

13. Warehousing in rural areas, including rural godowns.

14. Town and country planning so far as it relates to rural areas.

15. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.

16. Cooperatives relatable to the items in this list.

17. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

18. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

19. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO)";

(2) in the entries under the heading "Ministry of Commerce Vanijya Mantralaya)"; —

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Ministry of Commerce and Supply (Vanijya Aur Poorti Mantralaya)";

(b) after the sub-heading "A. Department of Commerce (Vanijya Mantralaya)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"B. Department of Supply (Poorti Vibhag)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

2. Disposal of surplus stores.

3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General, Ship Repairs.

4. Administration of—

(a) Directorate General of Supplies and Disposals.

(b) Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi.

(c) National Test House, Alipore, Calcutta.",

(c) for the sub-heading "B. Department of Textitles (Vastra Vibhag)" the sub-heading "C. Department of Textiles (Vastra Vibhag)" shall be substituted;

(3) under the heading "Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)", for the existing entries, the following sub-headings and entries shall be substituted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF POSTS

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of Posts with other countries.
2. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the Department of Posts.
3. Posts, including Post Office Saving Bank (Administration), Post Office Certificates (Administration) and Post Officee Life Insurance Fund (Administration).
4. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.
5. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters in this list.
6. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court.

B. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within he Department of Telecommunications with other countries.
2. Execution of work and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the telecommunications.
3. Telegraphs, including Telephones, Wireless and other like forms of communications.
4. Indian Telephone Industries, Bangalore and the Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.
5. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.
6. Inquiries and statistic for the purpose of any other matter in this list.
7. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court.";

(4) under the heading "Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)",—

(a) before entry 1, the following sub-heading shall be inserted, namely :—

"A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)";

(b) for the sub-heading "Department of Defence Production (Raksha Utpadan Vibhag)" the following sub-heading shall be substituted, namely :—

"B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES (RAKSHA UTPADAN AUR POORTI VIBHAG)";

(c) entries 22, 25 and 23 shall be omitted;

(d) the sub-heading "Department of Defence Supplies (Raksha Poorti Vibhag)" shall be omitteed.

(e) for the sub-heading "Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag)", the sub-heading "C. Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag)" shall be substituted;

(f) for entry 31, the following entry shall be substituted, namely :—

"31. All matters relating to the scientific and technical personnel under the control of the Department.";

(5) in the entries under the heading "Ministry of Education and Culture (Shiksha aur Sanskriti Mantralaya)",—

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF EDUCATION (SHIKSHA MANTRALAYA)";

(b) the sub-heading "A. Department of Education (Shiksha Vibhag)" shall be omitted;

(c) the sub-heading "B. Department of Culture (Sanskriti Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted;

(6) for the heading "Ministry of Engery (Oorja Mantralaya)" and the sub-heading and entries thereunder, the following heading, sub-heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)

A. Department of Environment (Parayavaran Vibhag) —

1. Environment and Ecology, including environment in coastal waters, in mangroves and coral reefs but excluding marine environment on the high seas.
2. Botancial Survey of India and Botanical Gardens.
3. Zoological Survey of India.
4. National Museum of Natural History.
5. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

7. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

8. Biosphere Reserve Programme.

B. DEPARTMENT OF FORESTS AND WILD LIFE (VAN AUR VANYA JEEV VIBHAG) —

1. National Forest Policy and Forestry development in the country including Social Forestry.

2. Forest Policy and all matters relating to forests and forest administration in so far as the Andaman and Nicobar Islands are concerned.

3. Indian Forest Service.

4. Wild life reservation and protection of wild birds and animals.

5. Fundamental research including co-ordination thereof and higher education in Forestry.

6. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park.

(7) under the heading "Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)" under the sub-heading "C. Department of Revenue (Rajaswa Vibhag)", under entry 14, item (e) shall be omitted;

(8) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)", —

(a) before "Part I Union Subjects", the sub-heading "A. Department of Home Affairs (Grih Vibhag) shall be inserted;

(b) under "Part IV—Miscellaneous Business", after entry 104., the following entries shall be inserted, nemaly :—

"105. Relief and Rehabilitation of displaced persons from former East Pakistan.
Relief includes :—

Establishments of camps, payment of cash doles, provision of other amenities and necessities.

Rehabilitation includes :—

Housing training and employment resettlement on land in business, industries and other non-agricultural occupations.

106. Relief and Rehabilitation of repatriated Indian nationals.

107. Relief and Rehabilitation of Tibetan refugees.

108. Relief and Rehabilitation of displaced persons from Chhamb area in Jammu and Kashmir, Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority.

109. Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranaya Development Authority.

110. Administration of Central Camps, work site camps and Karmi Shibirs for displaced persons from former East Pakistan.

111. Rehabilitation Industries Corporation.

112. Residuary problems relating to displaced persons from former East Pakistan in West Bengal.

113. Residuary, problems of refugees from Bangladesh.

114. Residuary problems of migrants from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir.

115. Development of such special areas as may be indicated by Prime Minister from time to time.

116. Relief and Resettlement of persons affected in the border areas of Jammu and Kashmir Punjab, Gujarat and Rajasthan during the Indo Pak Conflict, 1971.

117. Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan.

118. Administration of the following Acts:—

(a) Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)

(b) Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951)

(c) Displaced Persons (Debts adjustment) Act, 1951 (70 of 1951)

(d) Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

(e) Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954).

(f) Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954 (15 of 1954)

(g) Matters relating to Goa, Daman and Diu-Administration of Evacuee Property Act, 1964.

119. Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

120. Restoration of movable property received from former West Pakistan now Pakistan, to the displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

121. Vertificatitn and payment of claims of displaced persons from former West Pakistan now Pakistan, who were Government servants in the undivided provinces, and local bodies in respect of pension, provident fund, leave salary and security deposits.

(b) Ad-hoc schemes for payment of Pension, G. P. Fund, leave salary and ex-gratia, relief to displaced Government servants from former West Pakistan.

now Pakistan, grant of relief to the contractors in respect of their verified claims; grant of relief to pensioners migrated from former East Pakistan and West Pakistan, now Pakistan, between 1-1-1961 and 25-3-1971.

122. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this Part.

N.B. -Except where specified the programmes of relief and rehabilitation are executed and administered through the State Governments.";

(c) for the sub-heading "Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag)" the sub-heading "B. Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag)" shall be substituted;

(d) the sub-heading "Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted;

(9) in the entries under the heading "Ministry of Irrigation (Sinchai Mantralaya)", —

(a) for the existing heading, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

"Ministry of Irrigation and Power (Sinchai Aur Vidyut Mantralaya)

A. Department of Irrigation (Sinchai Vibhag)";

(b) after entry 11, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"B. Department of Power (Vidyut Vibhag)

1. General policy in the field of energy.
2. Research, development, technical assistance and all matters relating to Hydro-electric and thermal power.
3. Administration of the Indian Electricity Act, 1910.
4. Administration of the electricity (Supply) Act, 1948.
5. Central Electricity Board.
6. Central Electricity Authority.
7. Power schemes in Union territories.
8. The Damodar Vally Corporation.
9. National Projects Construction Corporation Limited.
10. Bhakra Management Board and Beas Project (except matters relating to irrigation).
11. (i) National Thermal Power Corporation.

    (ii) National Hydro-electric Power Corporation.

    (iii) Rural Electrification Corporation.

    (iv) North eastern Electric Power Corporation.";

(10) in the entries under the heading "Ministry of Labour and Rehabilitation (Shram aur Punarwas Mantralaya)", —

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :— "Ministry of Labour (Shram Mantralaya)".;

(b) the heading "A. department of Labour (Shram Vibhag)" shall be omitted;

(c) the heading "B. DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARWAS VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted.

(11) after the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following headings and entries shall be inserted, namely :—

"MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA MANTRALAYA)

1. Dates of [illegible] ation of the two Hou[illegible] lution of Lok Sab[illegible] to Parliament.
2. Planning and coordination of legislative and other official business in both Houses.
3. Allocation of Government time in Parliament for discussion of motions given notice of by Members.
4. Liaison with Leaders of Groups and Deputy Chief Whips.
5. Lists of Members of Select and Joint Committees on Bills.
6. Appointment of Members of Parliament on Committees and other bodies set up by Government.
7. Functioning of Consultative Committees of Members of Parliament for various Ministries.
8. Implementation of assurances given by Ministers in Parliament.
9. Government's stand on Private Members' Bills and Resolutions.
10. Secretarial assistance to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.
11. Salaries anl Allowances of Members of Parliament Act.
12. Salaries and Allowances of the Officers of Parliament Act.
13. Advice to Ministries on procedural and other Parliamentary matters.
14. Coordination of action by Ministries on the recommendations of general application made by Parliamentary Committees.

15. Officially sponsored visits of Members of Parliament to places of interest.

16. Matters connected with powers, privileges and immunities of Members of Parliament.

"MINISTRY OF PETROLEUM (PETROLEUM MANTRALAYA)

1. Exploration for, and exploitation of petroleum resources, including natural gas.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, incluling natural gas and petroleum products.

3. Oil Refineries, including Lube Plants.

4. Additives for petroleum and petroleum products.

5. Tube Blending and greases.

6. Petro-chemicals.

7. Industries relating to the production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon, Polyester, Acrylic, etc.)

8. Synthetic Rubber.

9. Plastics, including fabrication of plastic and plastic moulded goods.

10. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Ministry.

11. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

12. Planning, development and regulation of Oilfield services.

13. Public sector projects falling under the subjects included in this list. Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically alloted to any other Ministry|Department.

14. The Oilfields [(Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948)].

15. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959).

16. The Petroleum Pipelines [(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)].

17. The Esso [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974)].

18. The Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974).

19. The Burmah-Shell (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976)].

20. The Caltex [(Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Act, 1977 (17 of 1977)".;

(12) under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)",—

(a) before the entry "Responsibility to Parliament in regard to the subject of national planning", the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PLANNING (YOJANA VIBHAG)" shall be inserted ;

(b) for the sub-heading "DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)"; the following sub-heading shall be substituted, namely :—

"B. DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)";

(13) for the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading, sub-heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)

1. Formulation of policy statements and guidelines on science and technology.

2. Science Advisory Committee to the Cabinet (SACC).

3. Promotion of new areas of science and technology.

4. Futurology.

5. Coordination of areas of science and technology in which a number of institutions and departments have interests and capabilities.

6. Undertaking or financially sponsoring scientific and technological surveys, research design and development, where necessary.

7. Support and Grants-in-aid to Scientific Research Institutions, Scientific Associations and Bodies.

8. International Scientific and Technological Affairs including :—

(a) the negotiations and implementation of Scientific and Technological Cooperation Agreements and responsibility for the scientific and technological aspects of activities of international organisations ; and

(b) appointment of scientific Attaches abroad.

NOTE : These functions shall be exercised by the Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag) in close cooperation with the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

9. Scientific Surveys :

(i) Survey of India;

(ii) National Aatlas & Thematic Mapping Organisation;

10. India Meteorological Department ;

11. (i) Institute of Astro-physics ;

(ii) Institute of Geo-magnetism ;

(iii) Institute of Tropical Meteorology.

12. National Council of Science and Technology Communication.

13. National Science and Technology Entrepreneurship Development Board.

14. National Biotechnology Board.

15. Matters commonly affecting scientific and technological institutions e.g. financial, personnel, purchase and import policies and practices.

16. Management Information Systems for Science and Technology and coordination thereof.

17. Matters regarding Inter Agency|Inter-Departmental coordination for evolving science and technology missions.

18. Matters concerning domestic technology particularly the promotion of ventures involving the commercialisation of such technology other than those under the Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

19. All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development of security of the nation.

B. DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (VIGYAN AUR AUDYOGIK ANUSANDHAN VIBHAG)

1. All matters concerning the Council of Scientific and Industrial Research.

2. All matters relating to National Research Development Corporation.

3. All matters relating to Central Electronics Limited.

4. National Information System on Science and Technology (NISSAT).

5. Registration and Recognition of R&D Units.

6. Matters relating to UNCTAD & WIPO.

7. National register for foreign collaborations.

8. Matters relating to creation of a pool for temporary placement of Indian Scientists and Technologists.

9. National register of Scientific Manpower.

C. DEPARTMENT OF NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SHROTA VIBHAG)

1. Research and development of bio gas and programmes relating to bio gas units.

2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).

3. Solar Photovoltaic devices, including their development, production and applications.

(14) for the healing "MINISTRY OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE (SAMAJ AUR MAHILAYEN KALYAN MANTRALAYA)" shall be substituted;

(15) under the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)";—

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF STEEL ,MINES AND COAL (ISPAT, KHAN AUR KOYALA MANTRALAYA)";

(b) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF INES (KHAN VIBHAG)", after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

9. Metallurgical Grade Silicon.";

(c) after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)" and the entries thereunder, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

"C. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

9A. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

10. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.

11. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

12. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.";

(16) under the heading "MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)",—

(a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)", entry 2 shall be omitted;

(b) under the sub-healing "B. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN VIBHAG).", entry 1 shall be omitted;

(17) after the heading "DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (PARMANU OORJA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)

1. National Library, the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial and the Indian War Memorial and any other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

2. Archaeology, archaeological Museums.

3. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

4. Grants to Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

5. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

6. History of Freedom Movement.

6A. Jalianwala Bagh National Memorial Trust.

7. Administration of Gandhi Smriti Samiti and Gandhi Darshan.

8. The delivery of Books (Public Libraries) Act and the Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).

9. Promotion of fine arts.

10. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.

11. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits; General Development of Museums.

12. National Gallery of Modern Art, New Delhi.

13. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

14. Treasure Trove : the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and Export of Antiquities.

15. Open air theatres in rural areas and theatres in State Capitals.

16. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories, covered under the Scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochna aur Prasaran Mantralaya).

17. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

18. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies in respect of subjects dealt with by this Department.

19. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of Modern Indian Language.

20. Publication of rare manuscripts.

21. Grants to all-India Cultural Institutions.

22. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.

23. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.

24. Distribution of gift books received from abroad.

25. Appointment of Cultural Attaches abroad.

26. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

27. Individuals (including cultural lecturers), sponsored by Government for visits abroad.

28. Presentation of books to foreign countries.

29. Establishment of libraries abroad.

30. Translation of Indian classics into foreign languages.

31. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

32. Presentation of Indian art objects abroad.

33. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

34. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.

35. Revision of Gazetteers.

36. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities.

37. Publication, information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.

38. International Congress of Orientalists.

39. Anthropological Survey of India.

40. National Archives of India.

40A. Rashtriya Manava Sangrahalaya.

41. National Council of Science Museums, Calcutta.

42. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list."

(18) under the heading "DEPARTMENT OF ELECTRONIC (ELECTRONIKI VIBHAG)", after entry 3, the following entries shall be inserted, namely.—

"3A. All technology pertaining to silicon, other than metallurgical grade silicon.

3B. National Silicon Facility.";

(19) the heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(20) for the heading "DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be sustituted, namely:—

"DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG).

I. Recruitment, Promotion and Morale of the Services :

1. Reservation of posts in Services for certain classes of citiens.

2. General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railway Services and Services under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical Services under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag).

3. General policy regarding age limits, medical standards, educational qualifications and recognition of non-technical degrees| diplomas for appointment to Government service.

4. General policy matters regarding classification of posts and grant of gazetted status in relation to Services other than Railway Services.

5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its attached offices, except that for the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronic (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vighag).

6. Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antarikhsh Vibhag).

7. General policy regarding employment assistance to persons of Indian origin coming from various countries.

8. Concessions to War Service candidates in respect of appointments to Civil posts and services.

9. General policy regarding resettlement of displaced Government servants from areas now in Pakistan, and retrenched temporary employees.

10. Concessions to political sufferers in the matters of first appointment or reappointment to the Public Services.

11. General policy regarding grant of extension to or re-employment of superannuated officers.

12. Issue of certificates of eligibility for appointment to Civil Services and posts under the Union in respect of persons other than Indian citizens.

13. (a) Deputation of Indian experts abroad under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) and on bilateral basis of the developing countries of Asia, Africa and Latin America.

(b) Deputation of officers or placements with the United Nations and its allied agencies as also with other international agencies like ILO, FAO, etc.

14. General policy regarding verification of character and antecedents—suitability of candidates for appointment to Government service.

15. Policy matters relating to issue of No Objection certificate to serving personnel for registration with the Employment Exchange for higher posts.

16. Matters relating to Personal Staff of Ministers.

17. Re-deployment of staff rendered surplus in Central Government offices as a result of:—

(i) administrative reforms.

(ii) studies made by the S.I.U.

(iii) winding up of long term but temporary organisations.

18. Advising Ministeries on proper management of various cadres under their control.

II. Training

19. (a) Formation and coordination of training policies for the All India and Central Services.

(b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Institute of Secretariat Training and Management.

(c) Traning programmes for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

(d) Preparation and publication of training material and of information of training techniques, facilities and programmes.

(e) Liaison with training institutinos within the States and abroad.

(f) Refresher and special courses for Middle and Senior Management levels.

III. Vigilance and Discipline

20. (a) The Prevention of Corruption Act, 1947; the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division and the Administration Division); the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.

(b) Accord of sanction for the prosecution of any person for any offence investigated into by the Delhi Special Police Establishment where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

NOTE : Sanction for the prosecution of any person for any offence not investigated into by the Delhi Special Police Establishment shall e accoded by the Administrative Department where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

(c) Central Vigilance Commission.

(d) All policy matters pertaining to vigilance and discipline among pulic servants.

(e) Relationship between members of Parliament and the Administration.

IV. Service Conditions.

21. General questions (other than those which have a financial bearing) including Conduct Rules relating to All India and Union Public Service except in regard to services under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the department of Space (Antariksh Vibhag).

22. Conditions of service of Central Government employees (excluding those under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical personnel under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag), other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests.

23. (a) The administration of all Service Rules including F. Rs., S. Rs. and C.S.Rs. except—

(i) proposals relating to revisions of pay structure of employees;

(ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees;

(iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendations and implementation thereof;

(iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances;

(v) pension structure and relief to pensioners;

(vi) any new facility to Government employees by way of service conditions or fringe benefits which involve significant recurring financial implications; and

(vii) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character.

(b) Initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits involving significant recurring financial implications.

(c) Issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vii) of clause (a).

(d) Relaxation and liberalisation of any service rules having a long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance.

24. Grants to the Indian Institute of Public Administration.

25. Leave travel concession for civil employees other than Railway employees.

26. The Central Services (Temporary Service) Rules, 1949.

27. General policy regarding retrenchment and reversion of temporary Government servants, except those under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya).

28. Administration of the Central Services (Safeguarding of National Security) Rules.

29. Uniforms for Class IV and other Government servants in the Central Secretariat, and its attached offices.

30. Working Hours and Holidays for Government of India offices.

31. Administration of service rules with financial content under specific delegation made by the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

32. Advice on proposals in respect of the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) relating to the number or grade of posts to the strength of a service or to the pay and allowances of Government servants or any other condtions of their service having financial implications.

33. General policy regarding reimbursement of legal expenses incurred by Government servants.

34. Proposals for grant of ex-officio Secretarial status.

35. Honorary appointments of persons in civil posts.

36. Oath of allegiance to the Constitution.

V. Senior and Middle Management

37. All aspects of Senior Management (i.e. Joint Secretaries and above and their equivalents) including developments of personnel for it.

38. (a) Estalishment Officer to the Government of India.

(b) Appointments Committee of the Cabinet.

(c) Central Establishment Board.

(d) Career Development for Middle Management (i.e. Directors, Deputy and Under Secretaries and equivalents).

VI. Government Employees Relations, including Staff Grievances and Welfare.

39. (a) Service Associating of the industrial and non-industrial employees of the Government of India.

(b) Joint Consultative Machinery; Departmental Council for the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag).

(c) Machinery for the redress of staff grievances.

(d) Staff welfare including sports, cultural activities (Grih Kalyan Kendras, Canteens, Co-operative Stores, etc.).

(e) Other matters involving Government Employees relations not specifically provided for under any other entry relating to the Department.

VII. Union Public Service Commission

40. Union Public Service Commission.

VIII. Centralised aspects of Managing IAS, Inter-Ministry cadres, including a Career Planning for the members thereof.

41. (a) Creation of new All India Services.

(b) Rules and Regulations under the All India Services Act, 1951.

(c) All matters relating to the Indian Administrative Service, including the Indian Civil Service.

(d) All India Civil List and History of Services.

(e) Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers' Service and Central Secretariat Clerical Service.

IX. Career Planning and Manpower Planning

42. (a) General policy questions regarding Career Planning and Manpower Planning for the All India and Central Government Services.

(b) All matters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

X. Personnel Management Agencies.

43. Coordination of the work of personnel management agencies within various Ministeries.

XI. Research in Personnel Administration, etc.

44. Research in Personnel Administration; liaison with State Governments, professional institutions etc. in personnel matters.

XII. Allocation of personnel and integration of Services as a result of States Re-organisation

45. (a) Allocation of service personnel affected by re-organisation of States.

(b) Division and integration of services affected by the re-organisation of States other than in Union Territories.

(c) Protection of service conditions of personnel affected by re-organisation of States.

(d) Other matters relating to State Services affected by the re-organisation of States.

XIII. Administrative Reforms

46. Administrative Reforms.

47. Organisation and methods.";

(21) the heading "DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(22) in the entries under the heading "DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG)",—

(a) for the existing heading, the following heading shall be susbtituted namely:—

"DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKARAM AUR KHEL VIBHAG)";

(b) after entry 3, the following entries shall be inserted, namely:—

"4. Youth Affairs.

5. Youth hostels.";

(23) the heading "DEPARTMENT OF SUPPLY (POORTI VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH,
PRESIDENT

[No. 74/2/1/85-Cab.]

R. VENKATANARAYANAN, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985